

Notes for— M.A. Sem-III, CC-13, Unit-IV

Topic— संवैधानिक परिवर्तन और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया:-

(1.) भारतीय परिषद् अधिनियम 1861:- 1858 ई. के भारत सरकार अधिनियम ने यद्यपि कम्पनी शासन का अंत कर दिया, परंतु इसने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाने की मांग जोर पकड़ने लगी। इस बात को महसूस किया गया कि भारतीयों के लिए कानून बनानेवाली संस्था को भारतीय निवासियों को भी जानना चाहिए, अन्यथा उनके पास विद्रोह करने के अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं बचेगा।

कुछ प्रमुख भारतीयों, जिनमें सर्वप्रथम

सर सैय्यद अहमद खान, ने महसूस किया कि 1857 ई. के विद्रोह का एक प्रमुख कारण यह था कि शासक एवं शासितों के बीच कोई सम्पर्क सूत्र नहीं था। अनेक अंग्रेजों ने इस नीति के परिणाम की मांग की। इसके अतिरिक्त 1853 ई. के चार्टर एक्ट में कानून बनाने की जो व्यवस्था थी, वह दोषपूर्ण थी। विधान परिषद् एवं गवर्नर जनरल में आपसी ताल-मेल नहीं बैठता था। कौंसिल के स्वरूप के कारण निर्णय लेने में भी देर होती थी। इस अवस्था को दूर करने हेतु 1861 ई. में भारतीय परिषद् अधिनियम पारित किया गया।

अधिनियम के चारों मुख्यतः निम्नलिखित

थी— (i) वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार कर दिया गया। कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वां सदस्य कानूनी जानकार बनाया गया। अब इसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल कहा जाने लगा।



→ (2) वायसरॉय को कार्य करने के लिए अपनी सुविधाबुद्धि निम्न बनाने का अधिकार दिया गया। इस आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का आरंभ किया। जिसने मंत्रीमंडलीय व्यवस्था को जन्म दिया। प्रशासनिक विभाग विभिन्न सदस्यों के जिम्मे कर दिए गए जिसके लिए वे वायसरॉय के प्रति उत्तरदायी होते थे। महत्वपूर्ण विभागीय प्रश्नों पर वायसरॉय का परामर्श लिया जाता था।

(3) वायसरॉय की कार्यकारी परिषद् में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 रखने की व्यवस्था की गई। इसका मुख्य काम कानून बनाना था। जिस समय अतिरिक्त सदस्य कार्यकारी की बैठक में कानून बनाने के लिए सम्मिलित हो, वैसी अवस्था में इसे लेजिस्लेटिव कांसिल (विधायिका परिषद्) कहा जाता था। इन सदस्यों में कम-से-कम आधे सदस्य गैर-सरकारी होते थे। इन सदस्यों का मनोनयन वायसरॉय द्वारा होता था। इसमें कुछ अंग्रेजी और भारतीयों को भी शामिल किया गया। इन सदस्यों की अवधि दो वर्षों की थी। तत्पश्चात् इनका पुनः मनोनयन हो सकता था।

(4) लेजिस्लेटिव कांसिल द्वारा पास किए गए कानून वायसरॉय की स्वीकृति के पश्चात् पूर्ण रूप से कानून बन जाते और स्वतंत्र अंग्रेजी क्षेत्र में इन्हें लागू किया जा सकता था; लेकिन भारत सचिव इन कानूनों को रद्द भी कर सकता था।

(5) इस एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास के लिए कानून बनाने तथा उनके संशोधन करने के लिए प्रांतीय विधान सभाओं के गठन का अधिकार गवर्नरों को दिया गया। इसी आधार पर बाद में बंगाल, उत्तर-प्रदेश, प्रान्त और पंजाब में विधान परिषदें गठित की गईं। गवर्नरों को कम-से-कम 4 और अधिक से अधिक-8 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला। इनमें आधे सदस्य गैर-सरकारी होते थे एवं उनका मनोनयन भी दो वर्षों के लिए होता था। प्रांतीय विधायिकाओं को सिर्फ प्रांतीय मामलों से संबंधित मामलों में ही वायसरॉय की सहमति से कानून बनाने का अधिकार दिया गया।